आज़ादी का अमृत महोत्सव

भीम BHIM

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर दिनांकः 30 JUN 2023

आदेश

विभागीय समसंख्यक पत्र आदेश दिनांक 28.07.2022 के बिन्दु संख्या– 4 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

4. गैर खातेदारी भूमि की 90–ए(8) की कार्यवाही कर पट्टे देने के संबंध में :–

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा व आवंटन) नियम 2012 में अधिसूचना दिनांक 10.5.2022 द्वारा नियम 3(vii) पर अंकित गैर खातेदारी भूमि को विलोपित करने से गैर खातेदारी कृषि भूमि की भी धारा 90–ए/90–ए(8) की कार्यवाही हो सकेगी। **गैर खातेदारी भूमि के पेटे दरें अतिरिक्त रूप से निम्न प्रकार है।**

क्र. सं.	प्रकरण	क्षेत्रफल	दर
1	दिनांक 31.12.2021 से पूर्व अकृषि उपयोग होकर बसी हुई कॉलोनियों की सुओ–मोटो धारा 90–क(8) के उपरान्त	300 व.मी. तक के भूखण्ड पर	कोई राशि देय नहीं
		300 व.मी. से अधिक के भूखण्ड पर 300 व.मी. से अधिक अतिरिक्त क्षेत्रफल पर	5 रूपये प्रति व.मी.
2	निजी खातेदारी की नई योजना में गैर खातेदारी क्षेत्र पर धारा 90–क(6) एवं (7) के उपरान्त	सभी क्षेत्रफल के भूखण्डों पर	कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर का 30 प्रतिशत

राज्यपाल की आज्ञा से ,

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(संचिता बिश्नोई)
28/6
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
10. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
11. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
12. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
13. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

28/6/23
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

D ...UDH Transfer Posting order

CS CamScanner